<u>**न्यायालयः सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं (राजस्थान)**</u>

पीठासीन अधिकारी – **सुनील कुमार पंचोली**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(1) **दाण्डिक अपील संख्याः**–34/2024(CIS NO. 34/2024)

सपना पुत्री रणवीर उम्र 27 वर्ष हाल निवासी वार्ड नंबर 25, नवल पब्लिक स्कूल के पास चिड़ावा, पुलिस थाना–चिड़ावा जिला–झुंझुनूं (राज०)

.....अपीलार्थीया

ब नाम

1. राजेश चौधरी पुत्र रामस्वरूप उम्र 27 वर्ष निवासी एफ–1, न्यू कॉलोनी, पथ नंबर–7 मुरलीपुरा जयपुर, पुलिस थाना–मुरलीपुरा जिला–झुंझुनूं(राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये योग्य लोक अभियोजक, झुंझुनूं तहसील व जिला–झुंझुनूं **....प्रत्यर्थीगण**

(2) **दाण्डिक अपील संख्याः**–40/2024(CIS NO. 40/2024)

राजस्थान सरकार जरिए लोक अभियोजक, झुंझुनूं **.....अपीलार्थी**

ब नाम

राजेश चौधरी पुत्र रामस्वरूप उम्र 27 वर्ष निवासी एफ–1, न्यू कॉलोनी, पथ नंबर–7 मुरलीपुरा जयपुर, पुलिस थाना–मुरलीपुरा जिला–झुंझुनूं(राज.) **....प्रत्यर्थी**

तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं रीतिका चौहान द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या–612/22 (552/19)(CIS NO.1542/19)राजस्थान राज्य विरुद्ध राजेश चौधरी में दिनांक 01.05.2024 को पारित निर्णय व दोषमुक्ति के आदेश के विरूद्ध अपील

उपस्थितिः–

श्री अमित कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, वास्तेः अपीलार्थीया सपना
श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक, वास्तेः राज्य सरकार
श्री कंचन सिंह, विद्वान अधिवक्ता, वास्तेः प्रत्यर्थी राजेश चौधरी

<u>**नि र्ण य**</u> **दिनांकः 17.07.2026**

1. उपरोक्त दोनों ही अपीलें क्रमशः अपीलार्थीया/परिवादिया सपना एवं अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा पृथक–पृथक रूप से विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं के आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या–612/2022 (552/19)(CIS No.1542/19), राजस्थान राज्य विरूद्ध राजेश चौधरी अपराध अन्तर्गत धारा–498 क, 406 भारतीय दण्ड संहिता में पारित दोषमुक्ति के निर्णय

दिनांक 01.05.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं। चूंकि उक्त दोनों अपीलें एक ही निर्णय के विरूद्ध होने एवं समान तथ्यों पर आधारित होने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय के जरिये किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अपीलाधीन प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 28–04–2019 को परिवादिया श्रीमती सपना ने महिला पुलिस थाना झुंझुनू में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी शादी राजेश चौधरी के साथ दिनांक 22–02–2016 को हिन्दू रीति रिवाजानुसार उसके पिता के घर कस्बा चिड़ावा में हुई थी। उसके विवाह में उसके पति व ससुराल वालों की इच्छानुसार उसके पिता ने अपनी हैसियत से बढकर खर्चा किया था। शादी के दो तीन दिन बाद ही उससे उसके पति व सास–ससुर तथा देवर संजय ने कहा कि तुम्हारे घरवालों ने उनकी हैसियत के अनुसार दहेज नहीं दिया इसलिए एक प्लॉट खरीदने हेतु 25 लाख रूपयों की मांग की जिस पर उसने अपने घरवालों को सूचित किया जिस पर उसके पिता उससे मिलने जयपुर आये तो उसके पति व सास–ससुर ने उनसे भी 25 लाख रूपयों की मांग की। जिस पर उसके पिता ने असमर्थता जताते हुये कहा कि उसका शादी में काफी खर्चा हो गया है और वह इतनी बड़ी राशि आपको नहीं दे सकता। अप्रैल 2016 में उसके ससुर उसे अपने साथ जयपुर से मायके चिड़ावा ले आये और उसके पिता से कहा कि 25 लाख रूपयों का बंदोबस्त हो जाये तो ही इसको घर में घुसने देंगे। उसके बाद परिवार वालों व रिश्तेदारों द्वारा बीच बचाव करने व समझाने पर उसे उसके ससुराल वाले वापस नवम्बर 2016 में जयपुर ले गये और उसे घर से दूर संस्कार हॉस्टल, टोंक रोड़ जयपुर छोड़ दिया और कहा कि उनकी मांग पूरी हुए बगैर घर में नहीं रखेंगे। इस प्रकार वह हॉस्टल में मार्च 2017 तक रही। फिर उसे हॉस्टल लाकर वापस उसके पिता के घर चिड़ावा छोड़ दिया। दिनांक 29.06.2017 को उसके ससुराल में कोई भात होने के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने हेतु उसके ससुराल वाले दो दिन के लिये उसे धतरवाला ले गये और उसे उसके पिता के घर चिड़ावा छोड़ गये। दिनांक 28.09.2018 को उसे राजकीय सेवा में शिक्षिका के पद पर अजमेर में नौकरी मिल गई। दिनांक 05.02.2019 को उसके ससुराल वाले जयपुर से अपने गांव धतरवाला आये हुए थे जहां पर समझाईश करने पर उसे

ग्राम धतरवाला बुलवा लिया जहां से वह तथा उसकी सास दिनांक 06.02.2019 को जयपुर चले गये और वहां से वह दिनांक 07.02.2019 को अजमेर अपनी नौकरी पर चली गई। इसके बाद दिनांक 17.03.2019 को जब वह छुट्टी होने पर जयपुर गई तो उसके पति व सास ससुर उसे बहाने से चिड़ावा ले आये तथा उसके पिता के घर लाकर 25 लाख रूपये की मांग की तथा मांग पूरी नहीं होने पर उसे घर में रखने से साफ इंकार हो गये। उसके विवाह में दिये गये समस्त स्त्रीधन, गहने–जेवरात, कपड़े, बर्तन आदि उसके ससुराल वालों के पास ही है। साथ ही उसके पिता द्वारा उसे दिया गया एक 200 वर्गगज का प्लॉट जो उसके नाम से रजिस्टर्ड है तथा 22 बालाजी विहार, नई लोहामण्डी, माचड़ा गांव के पास जयपुर में स्थित है के असल कागजात भी उसके पति व ससुराल वालों ने जब्त कर लिये है। दिनांक 07.04.2019 को वह जयपुर ससुराल गयी तो उसके पति व उसके सास–ससुर तथा उसके परिवार में देवर हरिओम धतरवाल ने उसे घर में घुसने नहीं दिया तथा उसके साथ मारपीट व गाली गलौच कर घर से निकाल दिया। इस पर उसने पुलिस को फोन किया तो मौके पर पुलिस आ गई तथा रिश्तेदारों को भी बुला लिया तब उसने लोक लाज के कारण पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। दिनांक 17.04.2019 को उसके ससुर रामस्वरूप उसके पिता के पास चिड़ावा आये तथा धमकी देकर गये अगर 25 लाख रूपये नहीं दिये तो सपना को नहीं रखेंगे। दिनांक 18.04.2019 को उसके पति राजेश चौधरी व देवर संजय उसके कार्यस्थल राजकीय स्कूल जुगलीपुरा, ग्राम सिरोंज जिला अजमेर आये तथा उसे धमकी देकर गये कि यदि दुबारा उनके घर जयपुर आयी तो इस बार जान से मार देंगे। इस प्रकार इन लोगों ने उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़नायें दी तथा उसका समस्त स्त्रीधन हड़प लिया....इत्यादि के आधार पर महिला पुलिस थाना–झुंझुनूं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–34/2019 अंतर्गत धारा–498 क, 406 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त राजेश चौधरी के विरूद्ध धारा–498 क, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध में अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 498 क, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया तो उसने आरोपित अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष ने अपनी कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू 01 सपना, पी.डब्ल्यू 02 श्रीमती मंजू, पी.डब्ल्यू 03 रणवीर लांबा, पी.डब्ल्यू 04 कुलदीप पूनियां, पी.डब्ल्यू 05 कृष्ण कुमार, पी.डब्ल्यू 06 कंवरपाल सिंह, पी.डब्ल्यू 07 सांवरमल व पी.डब्ल्यू 08 सुरेशचन्द को परीक्षित करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत पी.09 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। तत्पश्चात् अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये तो अभियुक्त ने अभियोजन कहानी को गलत बताते हुए स्वयं का निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना जाहिर किया व साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

5. तदुपरांत विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनकर दिनांक 01.05.2024 को अपीलाधीन निर्णय करते हुए अभियुक्त राजेश चौधरी को धारा–498 क, 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषमुक्त किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया/परिवादिया सपना व राज्य सरकार की ओर से उक्त पृथक–पृथक दाण्डिक अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

6. बहस अपील सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीया ने निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध परिवादिया को दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं उसका स्त्रीधन हड़प लेना संदेह से परे साबित है। उनका तर्क है कि परिवादिया की ओर से इस प्रकरण में महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी.7 एवं प्रदर्श पी.8 विवाह विच्छेद का निर्णय व डिक्री की सत्यप्रतियां पत्रावली पर मौजूद थे, जिनमें सिविल न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजेश चौधरी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की गई थी तथा इसे अपीलीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई यह अंतिम निर्णय हो गया। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेजात प्रदर्श पी.7 व प्रदर्श पी.8 के संबंध में एक शब्द भी अपने निर्णय में अंकित नहीं किया तथा ना ही यह अवधारित किया कि उक्त दस्तावेजात इस प्रकरण में सुसंगत क्यों नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा

पत्रावली पर प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी की गई है, अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त किया जावे तथा अभियुक्त/प्रत्यर्थी राजेश चौधरी को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

7. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अपीलार्थीया के पक्ष में ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीया के अनुरूप ही बहस की गई।

8. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि किसी भी आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है एवं इस प्रकरण में पत्रावली पर ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जिससे प्रत्यर्थी पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित माने जा सके। उनका तर्क है कि पत्रावली पर आयी साक्ष्य का उचित विश्लेषण करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.2024 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः उक्त दोनों ही अपीलें खारिज की जावे।

9. उभय पक्ष को सुनकर अपील पत्रावली एवं विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं की पत्रावली नंबरी फौजदारी संख्या 612/2022 का अवलोकन किया गया।

10. हस्तगत अपील में न्यायालय को यह देखना है कि–क्या विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर आयी साक्ष्य से प्रत्यर्थी पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं ?

11. इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.3 अपीलार्थीया सपना द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 के आधार पर दर्ज हुई है जो एक विस्तृत टाईपशुदा रिपोर्ट है जिसमें सभी छोटे–छोटे तथ्यों को भी अंकित किया है अर्थात् उक्त रिपोर्ट में वर्ष 2016 से 2019 तक की हर तारीख का जिक्र है। ऐसी स्थिति में यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य इस रिपोर्ट में अंकित न हो तथा साक्ष्य के दौरान बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया हो तो उसकी विश्वसनीयता अवश्य संदिग्धता के घेरे में आयेगी। यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में समस्त तथ्यों का विस्तृत विवरण

दिया जाना आवश्यक नहीं है, परंतु यह विधि की स्थिति तब है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट घटनाक्रम की एक संक्षिप्त सूचना हो। हस्तगत प्रकरण से संबंधित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 तो टाईपशुदा विस्तृत रिपोर्ट है।

12 विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 08 गवाहों को साक्ष्य में पेश कर परीक्षित कराया गया था। प्रत्यर्थी/अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–498ए, 406 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप था। घटनाक्रम के संबंध में परिवादिया/अपीलार्थीया पी.डब्ल्यू.01 सपना मुख्य परीक्षण में शादी में उसे अपने पिता द्वारा उपहार स्परूप 6 लाख रूपये जिसमें दो लाख रूपये इलेक्ट्रोनिक के सामान के, एक लाख रूपये सगाई में, एक लाख रूपये टीके में देने तथा स्त्रीधन में उसे 40 तोला सोना व 200 वर्ग गज का प्लॉट जयपुर में दिये जाने के कथन करती है, परन्तु रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में इस प्रकार का कोई अंकन नहीं है। पी.डब्ल्यू.02 मंजू देवी जो कि अपीलार्थीया की माता है मुख्य परीक्षण में शादी में स्त्रीधन के रूप में करीब 40 तोला सोना, लोहा मंडी जयपुर में प्लॉट, सामान के अलग से 6 लाख रूपये देने का कथन तो करती है, लेकिन उक्त साक्षी पी.डब्ल्यू.02 मंजू का सगाई व टीके में किसी प्रकार की कोई राशि दिये जाने का कोई कथन नहीं रहा है। पी.डब्ल्यू.01 सपना उनके रिश्तेदारों उसकी दादेर सास और उसकी बुआ सास से बात किये जाने व शादी के बाद से ही उसको मानसिक रूप से परेशान किये जाने व 25 लाख रूपये की मांग किये जाने, रिश्तेदारों की समझाईश पर उसे वापस उसके पति के द्वारा जयपुर ले जाने के एक दिन बाद ही उसके पति, सास, ससुर द्वारा उसके साथ मारपीट करने, दो–तीन दिन तक उसकी सास द्वारा उसे खाना नहीं दिये जाने और उसे मानसिक टेंशन होने से चक्कर आ आने का कथन करती है, लेकिन रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में ऐसा कोई अंकन नहीं है ना ही परिवादिया की माता पी.डब्ल्यू.2 मंजू देवी व परिवादिया के पिता पी.डब्ल्यू.03 रणवीर लाम्बा के ऐसे कथन रहे हैं। पी.डब्ल्यू.01 सपना अपने मुख्य परीक्षण में उसके पति का अफेयर कहीं ओर होने का कथन करती है, परन्तु ना तो ऐसा कोई अंकन रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में है एवं ना ही ऐसे कोई कथन पी.डब्ल्यू.02 मंजू देवी व पी.डब्ल्यू.03 रणवीर लांबा के रहे हैं। उक्त तीनों ही साक्षीगण द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में 02 जुलाई को उसके पति के द्वारा उसे

सैकण्ड ग्रेड परीक्षा का पेपर नहीं दिलवाये जाने पर उसके पिता के द्वारा पेपर दिलवाये जाने का कथन करते हैं, परन्तु रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में ऐसा कोई अंकन नहीं है। पी.डब्ल्यू.01 सपना के अनुसार पेपर देने के पश्चात जब वह जयपुर अपने ससुराल आई तो वह दरवाजा पीटती रही पर उसके ससुर और उसके पति के द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया, पड़ोसियों द्वारा समझाईश की गई लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इस प्रकार उक्त गवाह दरवाजा नहीं खोलने पर रात को ढाई बजे अपने पिता के साथ वापस अपने पीहर चिड़ावा के लिए रवाना होना बताती है, परंतु रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में ऐसा कोई अंकन नहीं है।

13. अपीलार्थीया पी.डब्ल्यू.01 के अनुसार उसकी अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जुगलीपुरा में पोस्टिंग होने के पश्चात सामाजिक स्तर पर मिटिंग की गई, जिसमें उसके गांव धतरवाला का सरपंच, उसके रिश्तेदारों में उसके मामाजी कुलदीप पूनियां, उसकी बुआ का बेटा कृष्ण आबुसरिया, उसके ताउजी राजेन्द्र लाम्बा, उसके पिता की बुआ का बेटा रणवीर तथा उसके ससुराल पक्ष की ओर से उसकी बुआ सास के पति, दादेर सास के चार भाई और दादेर सास का दूर का रिश्तेदार जो उनका पड़ोसी था और उसके पति के मामा जी आदि काफी लोग सम्मिलित थे। मिटिंग में यह तय हुआ कि बच्ची को ससम्मान ले जाया जायेगा, उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे, परन्तु रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में ऐसा कोई अंकन नहीं है ना ही पी.डब्ल्यू.02 मंजू व पी.डब्ल्यू.03 रणवीर लाम्बा का ऐसा कोई कथन रहा है तथा ना ही मिटिंग में उपस्थित तथाकथित सरपंच व अन्य व्यक्तियों में से किसी को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया है। पी.डब्ल्यू.01 सपना का मुख्य परीक्षण में यह भी कथन रहा है कि 07 अप्रेल 2019 को जब उसकी सास व पति ने उसे घर में नहीं घुसने दिया और उसके कपड़े फाड़ लिये गये तो पड़ौसियों ने पुलिस को फोन किया और फिर वहां पर पुलिस आई, पुलिस के द्वारा उसके पति, सास–ससुर व देवर को गिरफ्तार किया गया, परन्तु रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में परिवादिया द्वारा स्वयं पुलिस को फोन किया जाना अंकित है एवं कपड़े फाड़ने संबंधी कोई अंकन नहीं है तथा ना ही कपड़े फाड़ने संबंधी कोई कथन पीड़ित के माता–पिता पी.डब्ल्यू.02 मंजू देवी व पी.डब्ल्यू.03 रणवीर लाम्बा के रहे हैं।

14. अपीलार्थीया पी.डब्ल्यू.01 सपना के अनुसार मुरलीपुरा थाने में उनके मध्य समझाईश हुई थी जिसमें यह तय हुआ कि हर शनिवार को जहां पर परिवादिया की पोस्टिंग है वहां पर राजेश चौधरी जायेगा तथा वहां रहेगा, लेकिन रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में ऐसा कोई अंकन नहीं है। इस संबंध में परिवादिया की माता पी.डब्ल्यू.02 मंजू देवी का कथन रहा है कि मिटिंग हुई उसमें यह तय हुआ कि हर शनिवार को राजेश चौधरी जायेगा यह मिटिंग में तय हुआ या नहीं उसे पता नहीं क्योकि वह मिटिंग में मौजूद नहीं थी जबकि परिवादिया के पिता पी.डब्ल्यू.03 रणवीर के अनुसार सपना अजमेर रहेगी और राजेश हर रविवार को उसके पास अजमेर जायेगा यह बात उनके परिवार की किसी भी मीटिंग में तय नहीं हुई थी। पी.डब्ल्यू.02 मंजू देवी अभियुक्त के द्वारा स्टॉफ के सामने सपना के साथ गाली–गलौच व अभद्र व्यवहार करना बताती है जबकि स्वयं परिवादिया पी.डब्ल्यू 01 सपना ने स्टॉफ के सामने उसके पति द्वारा गाली–गलौच करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, बल्कि उक्त साक्षी पी.डब्ल्यू.01 ने अपने पति द्वारा अपने, देवर संजय को लेकर 17 अप्रेल 2019 को उसके विद्यालय में आना जहां पर उसके स्टॉफ की मौजूदगी में उसको धमकाने की कोशिश करने व स्टॉफ द्वारा समझाईश करने पर उनके वहां से चले जाना बताती है जबकि रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में ऐसा कोई अंकन नहीं है।

15. अपीलार्थीया के पिता पी.डब्ल्यू.03 रणवीर लाम्बा अपने मुख्य परीक्षण में उसकी बेटी के ससुर रामस्वरूप के द्वारा उसे फोन किये जाने पर उसके द्वारा जयपुर जाने पर उसको रामस्वरूप द्वारा पास वाला प्लॉट बिकाउ होना बताकर दिखाये जाने व प्लॉट के संबंध में 25 लाख रूपये की मांग किये जाने के कथन करता है, लेकिन परिवादिया के ससुर के द्वारा कोई प्लॉट उसके पिता को दिखाया गया हो इस संबंध में स्वयं परिवादिया पी.डब्ल्यू.01 सपना व उसकी माता पी.डब्ल्यू.02 मंजू देवी का कोई कथन नहीं रहा है।

16. अपीलार्थीया के पिता पी.डब्ल्यू.03 रणवीर लाम्बा का मुख्य परीक्षण में यह कथन रहा है कि सपना की नौकरी लग जाने के पश्चात वह, उसके भाई की पत्नी, उसकी पत्नी तथा काफी रिश्तेदार इकट्ठे होकर गये और इनको समझाया कि नौकरी लग गयी है और यह 40–45 हजार रूपये महिने का कमाती

है फिर सामाजिक दवाब की वजह से वह लड़की को ले जाने के लिए राजी हुए तथा उक्त गवाह का यह भी कथन रहा है कि ससुराल जाने के पश्चात उसकी पुत्री के ससुराल वालों द्वारा उसे ताने दिये जाते थे कि तेरा बाप भिखारी है कुछ नहीं दे सकता जबकि स्वयं परिवादिया पी.डब्ल्यू.01 सपना के ऐसे कोई कथन नहीं रहे हैं तथा ना ही रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में ऐसा कोई अंकन है।

17. अपीलार्थीया पी.डब्ल्यू.01 सपना ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसकी नौकरी लग गई थी व उसका पति उसे लेकर अजमेर नहीं जाता था। इस बात को लेकर उनका विवाद होता था। यह भी स्वीकार किया है कि जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि हर रविवार को उसका पति अजमेर जायेगा व इस बात को लेकर उनका राजीनामा भी हो गया था। परिवादिया के पिता पी.डब्ल्यू.02 रणवीर लांबा ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की अंतिम पंक्तियों में यह स्वीकार किया है कि सपना और राजेश के बीच शुरू से विवाद था और इस बात को लेकर भी विवाद था कि राजेश सपना के पास अजमेर भी नहीं जाता था। यह भी स्वीकार किया कि सपना ने राजेश के विरूद्ध इस कारण तलाक का मुकदमा किया था जिसमें दोनों का तलाक भी हो गया है। इस प्रकार उक्त दोनों महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य से यही प्रकट होता है कि विवाद का मुख्य कारण 'परिवादिया के पति अभियुक्त राजेश का परिवादिया के साथ अजमेर न जाना' था।

18. इसके अतिरिक्त परिवादिया पी.डब्ल्यू.01 सपना एवं उसके माता–पिता पी.डब्ल्यू.02 मंजू देवी व पी.डब्ल्यू.03 रणवीर सिंह द्वारा अपने बयानों में बार–बार परिवादिया के पति, सास, ससुर एवं देवर के द्वारा प्लॉट की मांग को लेकर 25 लाख रूपये की मांग किया जाना बताया है तथा परिवादिया ने अपने द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में अपनी सास विजय लक्ष्मी, ससुर रामस्वरूप व देवर संजय तथा हरिओम धतरवाल को भी अभियुक्त के रूप में संयोजित करते हुए एवं उनके द्वारा भी दहेज की मांग को लेकर क्रूरता कारित किये जाने के तथ्य अंकित किये हैं, जबकि अनुसंधान के दौरान उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध परिवादिया के साथ क्रूरता किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है और यही कारण रहा है कि अनुसंधान के उपरांत मात्र अन्वीक्षित अभियुक्त राजेश चौधरी के विरुद्ध ही अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ है। इससे यही परिलक्षित होता है कि

परिवादिया एवं उसके माता–पिता प्रारम्भ से ही मिथ्या कथन कर रहे हैं। पी.डब्ल्यू.04 कुलदीप पूनियां परिवादिया का मामा एवं पी.डब्ल्यू.05 कृष्ण कुमार ने भी अपने मुख्य परीक्षण एवं जिरह में परिवादिया पी.डब्ल्यू.01 सपना के कथनों से विरोधाभासी कथन किये हैं। अन्य साक्षीगण पी.डब्ल्यू 06 कंवरपाल सिंह व पी.डब्ल्यू.08 सुरेशचन्द प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी हैं तथा पी.डब्ल्यू.07 सांवरमल मालखाना इंचार्ज है जो औपचारिक प्रकृति के साक्षी हैं।

19. इस प्रकार रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में केवल 25 लाख रूपये एवं प्लॉट की मांग और मारपीट का सामान्य अंकन है जबकि परिवादिया पी.डब्ल्यू.01 सपना ने अपने मुख्य परीक्षण में खाना न देना, राजेश का किसी अन्य से अफेयर होना, उसके कपड़े फाड़ देना, स्कूल में आकर धमकाना, पंचायत होना तथा उसमें हर शनिवार को राजेश का अजमेर आना तय होना आदि महत्वपूर्ण नई बातें जोड़ी गई हैं जो कि रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 व एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.3 में अंकित नहीं हैं जबकि एफ.आई.आर. के अनुसार दहेज की मांग विवाह दिनांक 22.02.2016 के दो–तीन दिन बाद से ही की जाती रही है जो कि उक्त प्रथम घटना से तीन वर्ष पश्चात दिनांक 28.04.2019 को काफी सोच–समझकर दर्ज करवायी गई है, उसके बावजूद उसमें इन महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश न करना अभियोजन मामले की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

20. प्रकरण में परिवादिया के अलावा अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण यथा–परिवादिया के माता–पिता, मामा आदि जो कि हितबद्ध साक्षी भी हैं, इनकी साक्ष्य में भी पारस्परिक गम्भीर प्रकृति का विरोधाभास सन्निहित है। स्वयं परिवादिया एवं हितबद्ध साक्षीगण की साक्ष्य निश्चित प्रकृति की नहीं है। परिवादिया सपना और उसके माता–पिता के कथनों में अनिश्चतता है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी परिवादिया सपना को दहेज के रूप में 25 लाख रूपये की मांग को लेकर तंग, परेशान व प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो तथा उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया हो, इस संबंध में अभिलेख पर कोई सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य विद्यमान नहीं है।

21. जहाँ तक शेष आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–406 भा.दं.सं. का प्रश्न है। रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में यह उल्लेखित नहीं है कि उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न स्त्रीधन की सूची प्रदर्श पी.2 में उल्लेखित संपूर्ण स्त्रीधन अपीलार्थीया/परिवादिया के पति–अभियुक्त राजेश चौधरी को न्यस्त किया गया हो। यद्यपि परिवादिया पी.डब्ल्यू.01 सपना के अनुसार उसका समस्त स्त्रीधन विदाई के समय उसके ससुर रामस्वरूप को संभला दिया गया था व परिवादिया की माता पी.डब्ल्यू.02 के अनुसार जो सामान उन्होंने दिया था वह रामस्वरूप चौधरी को संभला दिया था। तथापि, अभियोजन द्वारा अभियुक्त के पिता अथवा अन्य परिवारजनों को अभियुक्त नहीं बनाया गया है और केवल पति राजेश चौधरी को ही अभियुक्त बनाया गया है। परिवादिया अथवा उसके साक्षियों द्वारा यह स्पष्ट एवं विश्वसनीय रूप से सिद्ध नहीं किया गया कि कथित स्त्रीधन अभियुक्त राजेश चौधरी को व्यक्तिगत रूप से न्यस्त किया गया था अथवा वह उसके विशिष्ट कब्जे एवं नियंत्रण में था। अनुसंधान के दौरान आरोपी राजेश चौधरी ने पुलिस थाना मण्ड्रेला पर एक लॉकशुदा बक्सा लाकर पेश किया। दोनों पक्षों द्वारा बक्सा की चाबी अपने पास नहीं होना बतायी जिसे दोनों पक्षों के समक्ष बाह्य स्त्रोतों से बक्सा खुलवाया गया तो प्रदर्श पी.4 फर्द जब्ती के अनुसार अभियुक्त से कुल 33 वस्तुएँ बरामद की गई हैं, किन्तु उनमें से परिवादिया सपना ने केवल लगभग क्रम संख्या–1 से 15 तक वस्तुओं को ही अपना स्त्रीधन स्वीकार कर सुपुर्दगी पर प्राप्त किया, जबकि शेष वस्तुओं को अपना न बताते हुए लेने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वे वस्तुएँ अभियुक्त को ही अस्थाई सुपुर्दगी पर वापस दे दी गई। दूसरी ओर, प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत स्त्रीधन की सूची में वर्णित अनेक वस्तुएँ बरामद ही नहीं हुई। इस प्रकार स्त्रीधन की सूची, कथित सुपुर्दगी तथा वास्तविक बरामदगी के मध्य महत्वपूर्ण विसंगतियां विद्यमान हैं।

22. उक्त परिस्थितियों में यह तथ्य पूर्णतः संदेहास्पद है कि परिवादिया द्वारा कोई स्त्रीधन अभियुक्त को न्यस्त किया गया हो। भारतीय दण्ड संहिता की धारा–405 में "आपराधिक न्यास भंग के अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुरूप किसी व्यक्ति को न्यस्त की गई सम्पत्ति का यदि वह बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर लेता है अथवा उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित या व्ययन कर

लेता है तो ऐसे कृत्य को आपराधिक न्यास भंग की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई सुदृढ़ व प्रमाणिक साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान नहीं है कि उसे परिवादिया का स्त्रीधन न्यस्त किया गया हो तथा उसने तथाकथित स्त्रीधन का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया हो या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित करते हुए, उसका व्ययन कर दिया हो, इस कारण अभियुक्त द्वारा कथित स्त्रीधन का आपराधिक न्यास भंग किया जाना भी किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं हो पाया है।

23. जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीया एवं विद्वान लोक अभियोजक का यह तर्क कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य सिविल न्यायालय द्वारा पारित विवाह विच्छेद का निर्णय व डिक्री प्रदर्श पी.7 व पी.8 पर गौर नहीं किया जबकि इन दस्तावेजों के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय ने प्रत्यर्थी/अभियुक्त राजेश चौधरी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की गई है। इस संबंध में मेरे विनम्र मतानुसार विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि सिविल प्रकरण और आपराधिक प्रकरण में साक्ष्य का मानक भिन्न–भिन्न होता है। सिविल मामलों में "संभावना की प्रबलता" के सिद्धांत पर निर्णय होता है, जबकि दाण्डिक प्रकरणों में अभियोजन को अपना मामला "संदेह से परे" साबित करना होता है। इस प्रकार सिविल न्यायालय के निर्णय/डिक्री को दाण्डिक मामलों में दोषिसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। अतः विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजात प्रदर्श पी.7 व प्रदर्श पी.8 पर विस्तृत विवेचन न किया जाना कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

24. इस प्रकार स्वयं परिवादिया एवं हितबद्ध साक्षीगण की साक्ष्य में जो अनेकानेक दोष, कमियाँ, लोप व विरोधाभास प्रकट हुए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण अभियोजन कहानी सन्देहास्पद हो जाती है। आपराधिक विधि का यह सुस्थिर एवं सर्वमान्य सिद्धान्त है कि अभियोजन/परिवादी पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे भलीभाँति प्रमाणित करना होता है और यदि कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो उनका लाभ सदैव ही अभियुक्त को प्रदत्त किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर प्रत्यर्थी/ अभियुक्त राजेश चौधरी के विरूद्ध दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना किसी भी रूप में विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

25. इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष आयी अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता कि प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने दहेज की मांग को लेकर अपीलार्थीया को तंग व परेशान किया हो एवं उसका स्त्रीधन देने से इनकार कर आपराधिक न्यास भंग किया हो। विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वयं के समक्ष आयी साक्ष्य का विस्तृत एवं उचित विश्लेषण किया है तथा इस विश्लेषण के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने जो प्रत्यर्थी को दोषमुक्त किये जाने का निष्कर्ष निकाला है उसमें मेरी विनम्र राय में कोई हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

26. अतः उपरोक्त विश्लेषणानुसार अपीलार्थीया सपना व अपीलार्थी राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों ही अपीलें अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य हैं।

आ दे श

27. परिणामतः अपीलार्थीया सपना एवं अपीलार्थी राज्य सरकार की ओर से पृथक–पृथक रूप से प्रस्तुत यह दोनों ही अपीलें अस्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं द्वारा उनके न्यायालय में विचाराधीन रहे आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या–612/22(552/19)(CIS No.1542/19) राजस्थान राज्य विरूद्ध राजेश चौधरी, अपराध अन्तर्गत धारा–498क, 406 भारतीय दण्ड संहिता में निर्णय दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से अभियुक्त–प्रत्यर्थी राजेश चौधरी को दोषमुक्त किये जाने के निष्कर्ष को सम्पुष्ट किया जाता है।

28 . इस निर्णय की एक–एक मूल प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

29. निर्णय की प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जाये।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं

30. निर्णय आज दिनांक 17.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

BABU LAL SAINI
Digitally signed by BABU LAL SAINI
Date: 2026.07.18 16:37:28 +0530

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं